संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सेस हास्टल,डी0के0एस0भवन परिसर, रायपुर छ0ग0

क्रमांक / 3715 / नर्सिंग / संचिशि / 2022 रायपुर, दिनांक : 29/03/2022

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
चिप्स, कार्यालय, रायपुर।

विषय :– बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 को ध्यान में रखते हुए समय–सारणी।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 को ध्यान में रखते हुए बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के मॉपअप राउण्ड की समय–सारणी निम्नानुसार है :–

क्र.	प्रक्रिया	आबंटन सूची / स्ट्रे राउण्ड सूची जारी करने की तिथि	स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया तिथि
1	आज दिनांक 29.03.2022 को चिप्स के अधिकारियों एवं तकनीकी स्टाफ से चर्चा अनुसार बीएससी नर्सिंग का मॉपअप राउण्ड की सूची दिये गये तिथि अनुसार जारी करें। छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 का अवलोकन कर, कार्यवाही करें।	29 मार्च 2022	**30 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक** **स्कूटनी का समय** प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.30 बजे तक **प्रवेश का समय** प्रातः 10.00 बजे से सायं 07.30 बजे तक

सभी संस्था अवकाश के दिनों में भी स्कूटनी एवं प्रवेश प्रकिया की व्यवस्था बनाये रखें।

नोट–

1. स्कूटनी की प्रकिया आबंटित संस्था में ही की जावेगी, जिस हेतु संबंधित संस्था स्कूटनी की व्यवस्था दस्तावेजों की जांच में प्रवेश नियम 2019 का अक्षरशः पालन करें। (अवश्य देखें छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम का नियम 9 काउंसिलिंग प्रकिया) यद्यपि अभ्यर्थी / संस्था से सभी नियमों का अध्ययन किया जाना अपेक्षित है, ताकि उचित प्रकिया एवं नियम का पालन कर सकें।
2. प्रवेश उपरांत **Admission Recipt** जारी होने पर ही प्रवेश मान्य होगा, अतः अभ्यर्थी रूचि लेकर **Admission Recipt** संस्था से जारी करायें तथा उसकी एक कॉपी अवश्य लें। **[देखें छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यकम प्रवेश नियम 2019 के नियम 9 का उपनियम (पच्चीस)]**

   स्कूटनी की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 को रात्रि 11.00 बजे **(23.00 Hrs)** तक **Scrutiniy Recipt** जारी कर सकेगें।

   संस्था प्रवेश की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 को रात्रि 11.59 बजे **(23.59 Hrs)** तक **Admission Recipt** जारी कर सकेगें।

3. स्क्रूटनी में अथवा प्रवेश में नियम विरूद्ध अर्थात स्क्रूटनी में अपात्र अथवा प्रवेश में अपात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं स्क्रूटनी हेतु संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी तथा न्यायालयीन प्रकरणों में भी उन्हीं की जिम्मेदारी होगी एवं स्पष्टीकरण संस्था को स्वयं देना होगा। **[देखें छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 के नियम 9 का उपनियम (ग्यारह)]**
4. आगामी काउंसिलिंग आबंटन इत्यादि से संबंधित जानकारी हेतु वेबसाईट **www.cgdme.co.in** का नियमित प्रतिदिन अवलोकन करें।
5. सभी निजी नर्सिंग महाविद्यालय का आबंटन भी चिप्स कार्यालय के द्वारा संपादित है। **अतः प्रवेश संबंधित कार्यवाही हेतु किसी व्यक्ति/संस्था के धोखे में नहीं फंसे।**

संचालक चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़

पृ0क्रमांक/3716 /नर्सिंग/संचिशि/2022 रायपुर, दिनांक : 29/03/2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य समस्त, नर्सिंग महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

29.3.22

संचालक चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़